कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं0 39/17-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act. 1950)

आदेश पत्रक सं0 .... से .... तक

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रमांक तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई टिप्पणी आदेश
22.01.18	झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू0–अर्जन–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3 –खा0म0निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा कुदा थाना तोरपा खाता सं0 55/1 प्लॉट सं0 – रकबा 5.00 एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 .... पृष्ठ सं0 .... पर जमाबंदी रैयत सुकराम मुण्डा पिता/पति का नाम .... से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू0–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण–पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्ध करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 07.02.18 को उपस्थापित करें। 22/01/18 लेखापित एवं संशोधित — अंचल अधिकारी तोरपा	

Scanned by TapScanner

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई हि आदेश
12.11.2020	अभिलेख उपस्थापित, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं वर्त्तमान पंजी से पूर्व की जमाबंदी पंजी/ हल्का में उपलब्ध कन्टीन्यूअस खतियान/वादी के वंशज द्वारा उपलब्ध कराये गये बदोबस्ती पट्टा का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मौजा कुवरी के पंजी II में के वॉल्युम सं0 I के पृष्ट सं0 66 में सुखराम मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में संधारित है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आलोक में मौजा कुवरी के पंजी II के भाग सं0 I पृष्ट सं0 66 में सुखराम मुण्डा के नाम से कायम जमाबंदी के विरूद्ध भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 H के तहत प्रारंभ की गई कार्रवाई तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है। भविष्य में विभागीय नियमों/उच्चत्तर न्यायालय के आदेश आदि के आलोक में पुनः कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी। 12/11/2020 अंचल अधिकारी तोरपा	

Scanned by TapScanner

अंचल अधिकारी तोरपा।

विषय: वाद सं० 391/16-17 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मौजा कुदरी का खाता नं० 55 प्लॉट नं० 602, 692 कुल रकबा 5.00 एकड़ भूमि पंजी II के पृष्ठ सं० 66 भाग I में सुखराम मुण्डा पिता जाड़े मुण्डा साकिन डोडमा पुटकलटोली के नाम से जमाबन्दी कायम है। बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के तहत करवाई की गई।

वादी सुखराम मुण्डा के वंशज के द्वारा जमाबन्दी कायम होने के रूप में निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किए।

① RENT SCHEDULE का छाया प्रति।
② नक्सा का छाया प्रति।
③ लगान रसीद वर्ष 68-69 का छाया प्रति।

हल्का में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों की जाँच की गई। जाँचों उपरान्त निम्नांकित तथ्य सामने आई।

① राजस्व पंजी II में बन्दोबस्ती वाद सं० 9/66-67 दर्ज है।
② लगान वसूली वर्ष 2015-16 तक वसूली

अतः उक्त भूमि को नियमितिकरण किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 12.5.17

(हस्ताक्षर) C.I.